

URGENT NOTICE

It is observed that a few in numbers of students who are applying scholarship through **NSP (National Scholarship Portal)** portal for **session 2020-2021**. It is again requested to all students to visit NSP website (<https://scholarships.gov.in/>) for **various scholarship for different all categories** and check eligibility from given guidelines of respective scheme before filing the application form. Printout of filled application form will be submitted to office through post/ in person. So that application forms may get approved in time. **Last date is 31.10.2020** (most of schemes).

Su
16/10/2020
(O/I scholarship)

अति-आवश्यक
तिथिबद्ध
प्रेषक

(ई-मेल)

निदेशक,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चंडीगढ़।

सेवा में

शिक्षण संस्थान/कालेज(एनओएसओपीओ पर रजिस्टर्ड ई-मेल)
हरियाणा राज्य में

क्रमांक 20313 /आईओटीओ/एसओजेओईओ/2020
चंडीगढ़, दिनांक 15-10-2020


विषय:- National Scholarship Portal पर शिक्षण संस्थानों द्वारा अल्पसंख्यक
समुदाय व दिव्यांगजन के छात्रों से आवेदन करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर विभाग के पत्र क्रमांक 18563 दिनांक 17-09-2020 के संदर्भ में।

आपको सूचित किया जाता है कि भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, New Delhi भारत सरकार, द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय व दिव्यांगजन के छात्रों की छात्रवृत्ति कम्प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तथा मैरिट-कम-मिन्स/टोप क्लास के आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.10.2020 निश्चित की गई है। लेकिन वर्ष 2020-21 में आपके शिक्षण संस्थान द्वारा नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिये छात्रों से आवेदन नहीं करवाने के कारण वर्ष 2020-21 में छात्रवृत्ति के आवेदन बहुत कम ही रजिस्टर्ड हुए हैं। विज्ञापन की छायाप्रति साथ सलान है। अतः आप सभी शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त तिथि से पहले आप अपने-2 शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अल्पसंख्यक व दिव्यांगजन छात्रों से नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आनलाईन आवेदन भरवाना सुनिश्चित करें। जिससे इन छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। यदि आनलाईन आवेदन करने में किसी भी कठनाई का सामना करना पड़ता है तो जिला नोडल अधिकारी से संपर्क करें। आनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया साथ सलान है।

कृपया इसको अधिमान देवे।

संलग्न: उपरोक्त


उप- निदेशक (आडिट) कम राज्य नोडल अधिकारी
(अल्पसंख्यक व दिव्यांग छात्रवृत्ति)
कृते: निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।